

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2498]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 24, 2015/अग्रहायण 3, 1937

No. 2498]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 24, 2015/AGRAHAYANA 3, 1937

उप राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवंबर, 2015

**का.आ. 3152(ब).—**भारत के उप राष्ट्रपति ने पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की हैसियत से पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम (पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर भाग 1, 2005) की धारा 13(1)(जे) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री एल. के. बंसल, डीन अनुसंधान को उनके डीन, अनुसंधान की हैसियत से पंजाब विश्वविद्यालय के सीनेट में सामान्य अध्येता के रूप में उनकी सदस्यता डीन, अनुसंधान की पदवी पंजाब विश्वविद्यालय में निरस्त होने के कारण समाप्त की जाती है।

[सं. उ.रा.स. -15/02/2012]

स्वशपवन सिंह, भारत के उप राष्ट्रपति  
और पंजाब विश्वविद्यालय  
के कुलाधिपति के सचिव

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November 2015

**S.O. 3152(E).—**The Vice-President of India in his capacity as the Chancellor of Panjab University has been pleased to cease Fellowship of **Prof. L. K. Bansal**, who was nominated to the Panjab University Senate, in his capacity as the **Dean, Research** under the powers vested in him by Section 13 (1)(j) of the Panjab University Act of (Panjab University Calendar Vol. I, 2005) consequent upon the abolition of the post of Dean, Research in the Panjab University.

[No. VPS/15/02/2012]

SWASHPAWAN SINGH, Secy. to the Vice-President of India  
& Chancellor of the  
Panjab University

4902 GI/2015